



जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST

पत्तन कार्यालय : प्रशासन भवन, शेवा, तालुका-उरण, नवी मुंबई - 400 707

Port Office : ADMINISTRATION BLDG., SHEVA, TALUKA - URAN, NAVI MUMBAI - 400 707.

मुख्य प्रबंधक (प्रचलन) Chief Manager (Oprn.)-(022) 2724 2218, मुख्य प्रबंधक (प्रशासन) Chief Manager (Admn.)-(022) 2724 2233,

मुख्य प्रबंधक (वित्त) Chief Manager (Fin.)-(022) 2724 2241, मुख्य प्रबंधक (प.यो.वि.) Chief Manager (PPD)-(022) 27242326,

उप-संरक्षक Dy.Conservator-(022) 2724 2301



Website : www.jnport.gov.in
E-mail : info@jnport.gov.in

जनेप/समुद्री/सुरक्षा/सु.का./2011/429

दि.27 मई.2011

परिपत्र


मन्सा के साथ परामर्श से पत्तन ने जनेप न्यास में परियोजना / खण्डित बल्क कार्गो के प्रहस्तन के लिए सुरक्षित प्रचालन प्रक्रिया बनाई है। सुरक्षित प्रचालन प्रक्रिया की एक प्रतिलिपि सख्त अनुपालन के लिए इसके साथ संलग्न है।

आगे यह भी अनुरोध किया जाता है कि सभी दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं की सूचना गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय और सुरक्षा अनुभाग को दूरभाष पर 04 घंटों के अंदर तथा बाद में 72 घंटों के अंदर लिखित रूप में विहित प्रपत्र में दी जाए।

गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय तथा सुरक्षा अनुभाग के साथ सम्पर्क हेतु विवरण नीचे दिया गया है :

कार्यालय	सुरक्षा अनुभाग, जनेप न्यास	अतिरिक्त सहा.निदेशक (सुरक्षा), गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय
दूरभाष नंबर	27245184 / 67815184/ 9076405137	27245099 / 67815099 / 9892098006
फैक्स नंबर	27244170	टेलिफैक्स : 22613391
कार्यालय पता	पहली मजिल, पीओसी कैटीन भवन, जनेप न्यास	पीओसी कैटीन भवन, निचला तल, जनेप न्यास

सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध न होने पर आगे सुरक्षा अनुभाग को सूचित करने के लिए दुर्घटना की सूचना पत्तन नियंत्रण कक्ष को 27245178 / 27242367 / 27242367 / 67815178 / 67815151 पर दी सकती है।


वरिष्ठ गोदी अधिपति 02/06

सेवा में,

मन्सा, सभी नौवहन अभिकर्ता

सभी विभागाध्यक्ष / सभी वरिष्ठ प्रबंधक / उप-प्रबंधक (ब.ट.) / व.कमाडेट - कें.औ.सु.बल

अतिरिक्त सहा.निदेशक (सुरक्षा), गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय, जनेप न्यास

प्रतिलिपि सूचनार्थः

मुख्य सतर्कता अधिकारी

अध्यक्ष के निजी सचिव / उपाध्यक्ष के निजी सचिव

परियोजना / खण्डित बल्क कार्गो के प्रहस्तन के लिए सुरक्षित प्रचालन प्रक्रिया

जहाज पर हमाली करना:

क. प्रचालन आरंभ करने से पहले :

1. हमाली के लिए उपयोग किए जाने वाले साधनों तथा उपस्करों के प्रमाण-पत्रों की वैधता तथा उनके सुरक्षित कार्य भार की जाँच की जानी चाहिए ।
2. सभी लम्बे तथा कष्टकर पैकेजों का प्रहस्तन उपयुक्त स्पेडरों द्वारा किया जाना चाहिए ।
3. जहाजी हमाली करने वाले सभी कर्मचारी तथा मजदूरों को निजी सुरक्षात्मक उपस्कर जैसे सुरक्षा जूते, सुरक्षा हेलमेट तथा रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनने चाहिए ।
4. सभी निजी सुरक्षात्मक उपस्कर अच्छी स्थिति में रखे जाने चाहिए ।
5. निकासी योजना पर चर्चा करने के लिए जहाजी कुलियों द्वारा सभी संबंधितों के साथ घाटायन पूर्व बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए ।

ख. जहाजी हमाली का ठेकेदार सामान्य सुरक्षा के अलावा निम्नलिखित सावधानियाँ सुनिश्चित करेगा ।

1. जलयान तक पहुँचने का मार्ग सुरक्षित है ।
2. जहाजी हमाली के कार्य में शामिल जोखिमों के लिए सभी कर्मचारी उचित रूप से प्रशिक्षित हैं ।
3. जब मैकेनिकल हैच कवर प्रचालन में हो तब कोई भी व्यक्ति अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए हैच कवर के एकदम पास नहीं जाएगा ।
4. केवल नियुक्त संकेतकों द्वारा ही हाथ द्वारा संकेत दिए जाएंगे, अन्य किसी के द्वारा नहीं ।
5. रात के समय कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वे ऐसे जगह पर खड़े हों कि जहाँ प्रकाश है । अंधेरे में खड़े रहना खतरनाक है ।
6. कर्मचारी जहाज के ऊपर नहीं सोएंगे ।
7. कृपया लटकते हुए भार के नीचे खड़े न रहें ।
8. ट्रेलर पर कार्गो का उचित स्थान सुनिश्चित करें ।
9. जहाज की असुरक्षित स्थितियों की सूचना जहाज के अधिकारियों को दे दी जाए ताकि सुरक्षित कार्यक्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए ऐसी स्थितियों में सुधार किया जा सके ।
10. जहाँ सामने बिल्कुल दिखाई नहीं देता हो वहाँ चालक / प्रचालक को उचित मार्गदर्शन किया जाना चाहिए ।

ग. घाट की सुरक्षा

निकासी कार्य आरंभ होने से पहले घाट पर उचित निभार (डनेज), स्टील ड्राइविंग प्लेट रखी जानी चाहिए ताकि घाट का नुकसान न हो ।

घ. जलयान से उतारा जाने वाला कार्गो

1. सभी प्रकार के कार्गो को घाट पर उतारा जाना चाहिए ।
2. पैकेजों को घाट पर सुरक्षित रूप से उतारने के बाद ही स्लिंग को ढीला / निकाला जाना चाहिए ।
3. केवल भारी लिफ्ट पैकेजों को ही सीधे ट्रेलरों पर उतारा जाना चाहिए । पैकेज को ट्रेलर पर सुरक्षित रूप से उतारने अथवा संतुलित रूप में रखे जाने के बाद ही स्लिंग को ढीला / निकाला जाना चाहिए और परिवहनकर्ता / चालक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पैकेज को सुरक्षित रूप से उतारा गया है ।
4. अन्य सभी पैकेजों को घाट पर उतारा जाना चाहिए और उत्तोलन उपकरणों जैसे फोर्कलिफ्ट आदि की सहायता से उन्हें ट्रेलर पर लादा जाना चाहिए ।
5. सभी उचित प्रमाण-पत्र वाले सुरक्षित वाहनों को ही तैनात किया जाना चाहिए । वाहनों पर क्षमता से अधिक भार नहीं लादा जाना चाहिए ।
6. कार्गो के प्रकार के अनुसार उचित निभार का प्रयोग किया जाना चाहिए ।
7. कार्गो स्लिप होने की स्थिति में उसे पकड़ने के लिए ट्रेलर पर उचित गाइड / स्टान्शन होने चाहिए ताकि कार्गो को ट्रेलर से गिरने से रोका जाए ।
8. प्राप्तकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि जलयान के हुक से नामित यार्ड / गेट तक कार्गो के सुरक्षित परिवहन के लिए सभी उचित सावधानियाँ बरती गई हैं । इस प्रकार का आश्वासन देने वाले प्राप्तकर्ता सुरक्षित प्रचालन प्रक्रिया का हिस्सा होंगे ।

ङ) परिवहन ठेकेदार द्वारा सामान्य सुरक्षा अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानियाँ बरती जाएगी -

1. सुरक्षित वाहनों को उपयोग के लिए तैनात किया गया है ।
2. सभी चालकों तथा सहायक कर्मचारियों को सुरक्षा प्रशिक्षण दिया गया है ।
3. जिन चालकों के पास लाइसेंस तथा संगत अनुभव हो उन्हीं को कार्य पर नियुक्त किया गया है ।
4. सुरक्षित प्रचालन के लिए ट्रेलर की नियमित जाँच की गई है जिसमें ब्रेक तथा टायरों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया हो ।
5. पत्तन द्वारा निर्धारित गति सीमा का पालन किया जाना चाहिए ।
6. सड़क पर चल रहे वाहनों को ओवरटेक नहीं किया जाता है । यदि आवश्यक हो तो बहुत सतर्कता से तथा अत्यंत सावधानियों के साथ ऐसा किया जाता है ।
7. वाहन को पीछे नहीं लिया जाता है । यदि आवश्यक हो तो बहुत सतर्कता से तथा अत्यंत सावधानियों के साथ ऐसा किया जाता है ।
8. ट्रेलर के चारों ओर सुरक्षा वायर-रोप लगाए गए हैं ताकि खुली जगह के बीच कोई घुसकर दुर्घटना न हो ।
9. तीव्र मोड नहीं लिया जाता है ।
10. वाहनों के बीच सुरक्षित अंतर रखा गया है ।
11. सड़क के किनारे से वाहनों को न चलाया / पार्क नहीं किया जाता ।

12. ट्रेलर पर कार्गो को सुरक्षित रूप से रखा गया है ।

च. उपस्करों की सुरक्षा

उपस्कर ठेकेदार सामान्य सुरक्षा के अलावा निम्नलिखित सावधानियाँ बरतेगा -

1. उपस्कर प्रचालन के लिए प्रचालक उपयुक्त और अनुभवी हों ।
2. उपस्कर उपयोग के लिए सुरक्षित स्थिति में हों ।
3. उपयोग से पहले उपस्करों की जाँच की जानी है ।
4. प्रचालन पूर्व और प्रचालन के बाद उपस्करों की जाँच की जानी है ।
5. अभिकर्ता से पूर्व अनुमति लिए बिना घूर्णन (रोटेटिंग) मशीनरी में अथवा उसके नजदीक कोई सफाई कार्य नहीं किया जाएगा ।
6. घूर्णन (रोटेटिंग) मशीनरी के नजदीक कार्य करते समय ढीले अथवा लम्बे आस्तीनों वाले कपड़े नहीं पहने जाएँ ।
7. मजदूर विद्युतवाही तारों का नहीं छूएंगे ।
8. सभी उपस्करों पर उनके सुरक्षित भार की क्षमता लिखी जाएगी तथा सुरक्षित भार क्षमता के अंदर ही मशीन का उपयोग किया जाना है ।

छ. सामान्य सुरक्षा

1. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि मजदूर कार्यस्थल तथा कार्य की सुरक्षा से अवगत हैं ।
2. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कहीं मजदूर किसी अविहित दवाई या/ और शराब के नशे में तो काम नहीं कर रहा है ।
3. कार्यस्थल पर उचित रखरखाव तथा सफाई को सुनिश्चित करें ।
4. कार्यस्थल पर धूम्रपान नहीं किया जाना सुनिश्चित करें ।
5. निजी सुरक्षात्मक उपस्कर - सुनिश्चित किया जाए कि मजदूरों के लिए आवश्यकतानुसार निजी सुरक्षात्मक उपस्कर (हेल्मेट, सुरक्षा जूते, स्पष्ट दिखने वाले पोशाख जिनमें परावर्ती पट्टियाँ लगी हों, पूरे शरीर साजो-सामान, दस्ताने, जीवन रक्षक जैकेट आदि) उपलब्ध कराए गए हैं ।
6. सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कार्यस्थल पर पर्यवेक्षण करें ।
7. कार्य आरंभ करने से पहले औजार पेटी बैठकों का आयोजन करें ।
8. सुनिश्चित करें कि आपात्कालीन फोन नम्बर मौजूद हैं ।
9. किसी दुर्घटना / दुर्घटना की संभावनावाली घटनाओं की सूचना जनेप न्यास के संबंधित अधिकारी को दी जाएगी ।
10. सुनिश्चित करें कि मजदूरों को सीढ़ी से संबंधित सुरक्षा सावधानियाँ पता हैं ।

ज. निजी सुरक्षा

क्या करें :

परावर्ती पट्टियों सहित स्पष्ट दिखने वाले कपड़ों का उपयोग करें ।
निर्दिष्ट क्षेत्र में काम करें ।
पैदल न चलें तथा यातायात के लिए वाहनों का उपयोग करें ।
प्रचालक को दिखाई देने वाले क्षेत्र में खड़े रहे ।

क्या न करें :

क्रेन के मार्ग में न चलें ।
क्रेन के प्रचालनीय क्षेत्र में प्रवेश न करें ।

मोबाइल उपस्कर

क्या करें :

उपयोग से पहले उपस्कर की जाँच करें ।
मजदूर तथा कर्मियों पर नज़र रखें ।
भार सुनिश्चित करें ।
गति सीमा का पालन करें ।

क्या न करें :

ऐसे उपस्करों का उपयोग न करें जिनमें बड़ी समस्या हो ।
उपस्करों के साथ खिलावाड़ न करें ।

भार प्रहस्तन :

क्या करें :

सुरक्षित स्थान पर खड़े रहें ।
भार का प्रहस्तन करते समय लोगों पर नज़र रखें ।
उपयोग से पहले उपस्कर की जाँच करें ।
भार सुनिश्चित करें ।

क्या न करें :

खुले सामान को न उठाएं
व्यक्तियों के उपर से भार को न उठाएं ।



ज ने प न्यास JNPT

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST

पत्तन कार्यालय : प्रशासन भवन, शेवा, तालुका-उरण, नवी मुंबई - 400 707

Port Office : ADMINISTRATION BLDG., SHEVA, TALUKA - URAN, NAVI MUMBAI - 400 707.

मुख्य प्रबंधक (प्रचलन) Chief Manager (Oprn.)-(022) 2724 2218, मुख्य प्रबंधक (प्रशासन) Chief Manager (Admn.)-(022) 2724 2233,

मुख्य प्रबंधक (वित्त) Chief Manager (Fin.)-(022) 2724 2241, मुख्य प्रबंधक (प.यो.वि.) Chief Manager (PPD)-(022) 27242326,

उप-संरक्षक Dy.Conservator-(022) 2724 2301



Website : www.jnport.gov.in
E-mail : info@jnport.gov.in

JNP/M/S/SoPs/2011/ 429

27th May 2011

C I R C U L A R

In consultation with MANSA the Port has formulated Safe Operating Procedures for handling of project / break bulk cargoes at JNPT. Copy of the Safe Operating Procedures is enclosed herewith for strict compliance.

Further, it is also requested that all accidents, dangerous occurrences shall be reported to Inspectorate Dock Safety and Safety Section over telephone within 04 hours followed by writing in prescribed format within 72 hours.

Contact details of Inspectorate Dock Safety and Safety Section are as given below:

Office	Safety Section, JNPT	Addl. Asstt. Director (Safety), Inspectorate Dock Safety
Telephone No.	27245184 / 67815184 / 9076405137	27245099 / 67815099 / 9892098006
Fax No.	27244170	Telefax : 22613391
Office Address	1st Floor, POC Canteen Building, JNPT	POC Canteen Building, Ground Floor, JNPT

In case of non-availability of Safety Officers, the accident can be reported to Port Control Room on 27245178 / 27245151 / 27242367 / 67815178 / 67815151 for further communication to Safety Section.

Sr. Dock Master

To,
MANSA, All Shipping Agents
All HoDs / All Sr. Managers / Dy. Manager (BT) / Sr. Commandant - CISF
Addl. Asstt. Director (Safety), IDS, JNPT

CC to
CVO : for information please.
PS to Chairman / PS to Dy. Chairman for information please.

SAFE OPERATING PROCEDURE FOR HANDLING PROJECT / BREAK BULK CARGOES AT JNPT

On Board Stevedoring:

A. Prior commencement of Operations:

1. Stevedoring Gear and equipment certificates to be checked for validity and SWL.
2. All long and awkward packages to be handled with the use of suitable spreaders.
3. All Stevedoring staff & labour to wear personal protective gear i.e. Safety Shoes, Safety Helmet and Reflective jacket.
4. All personal protective gear shall be maintained in good condition.
5. Pre-berthing meeting to be conducted by the Stevedores with all concerned to discuss the plan to discharge.

B. Stevedoring contractor shall ensure following precautions in addition to General Safety.

1. Ensure safe access to vessel.
2. All workers are trained suitably for the hazards involved in stevedoring activities.
3. While mechanical hatch covers are in operation no person shall be in close proximity of the hatch covers to ensure their own safety.
4. Only designated signal man shall give the hand signals, others shall not transmit signals.
5. During the night time worker shall ensure that they are standing in only illuminated area. Standing in dark is dangerous.
6. Workers shall not sleep on board the ship.
7. Please do not stand underneath hanging load.
8. Ensure proper placement of load on the trailer.
9. To report all the unsafe conditions at ship to the ship officials for correcting the same so as to ensure safe work area.
10. Driver/operator to be guided properly at blind spots.

C. Protection of Wharf:

Proper dunnage, Steel driving plates to be placed on wharf prior commencement of discharge to prevent damages to the wharf.

D. Receiving Cargo:

1. All cargo to be discharged on the wharf.
2. Sling to be slacked/removed only after packages safely resting on the wharf.
3. Only Heavy Lift packages to be received directly on trailers. Sling to be slacked/removed only after package safely landed and balanced on the trailer and safe resting confirmed by the Transporter/Driver.
4. All other packages to be landed on wharf and loaded on the trailer with help of lifting equipment i.e. forklifts etc.
5. Only safe vehicles with all proper certificates to be deployed. Vehicles should not be overloaded.
6. Proper dunnage to be used as per the type of cargo.

7. Proper guides/stanchions should be placed on the trailer for arresting the cargo in case of slip to prevent the fall of cargo from trailer.
8. Receiver to ensure that all proper care has been taken for the safe transport of the cargo from vessel hook to nominated yard/gate. Receivers undertaking to this effect will be a part of SOP.

E. Transport Contractor shall ensure following precautions additional to General Safety –

1. Safe vehicles are deployed for use.
2. All the drivers and supporting staff are provided safety induction training.
3. Licensed drivers with relevant experience are deployed for the job.
4. Regular checks for the trailer for safe operation giving special care to brakes and tyre condition.
5. Speed limit of port to be adhered to.
6. Not to overtake the running vehicles on road. If required needs to be carried out under supervision and with extreme precautions.
7. Not to reverse the vehicle. If required needs to be carried out under supervision and with extreme precautions.
8. Safety wire rope to be used at sides for skeleton structures of trailer to prevent accidental entry of personnel between open gaps.
9. No sharp turns are taken.
10. Keep safe distance between the vehicles.
11. Not to drive/park vehicles at the edge of roads.
12. Safe receipt of cargo at the trailer.

F. Equipment Safety

Equipment contractor shall ensure following precautions in addition to General Safety.

1. The operators to be competent and experienced in equipment operation.
2. Equipments to be in safe condition to use.
3. Equipment to be checked before use.
4. Preoperational and operational checks to be done.
5. No cleaning activity shall be carried out at or near rotating machinery without prior permission from Agent.
6. No loose clothing /long sleeves while working near the rotating machinery.
7. Workers shall not touch any live electrical wires.
8. Safe working load of all the equipments shall be mentioned and machine to be used within the SWL limit.

G. General Safety

1. Contractor to ensure that the workers are aware for the safety at workplace and job.
2. Contractor to Ensure workers are not on the job under the influence of unprescribed drug and / or alcohol.
3. Ensure proper housekeeping and cleanliness at workplace.
4. Ensure no smoking at workplace

5. PPE - Ensure proper personal protective equipments are issued to workers as required(Helmet, safety shoes, highly visible vest with reflective strips, full body harness, hand gloves, life jacket etc)
6. supervision at workplace to ensure safety at workplace
7. Conduct tool box meetings before starting of the work.
8. Ensure emergency contact numbers are readily available.
9. Any accident/near miss at workplace shall be reported to relevant JNPT official
10. Ensure ladder safety precautions are known to workers.

H. Personal Safety:

DO's –

- Use high visible clothes with reflective stripe
- Work in designated area
- Avoid walking around and use vehicles to travel
- Be in visible area of operator

DON'Ts –

- Do not walk on crane path
- Do not enter in operational direction span of crane

I. Mobile Equipment:

DO's –

- Check the equipment before use
- Check for workers / personnel
- Secure load
- Follow speed limit

DON'Ts –

- No equipment to be used in operations having major problem
- No horseplay with equipments

J. Handling Loads:

DO's –

- Stay at safe place
- Check for people while handling loads
- Check equipment before use
- Secure load

DON'Ts –

- No loose items
- Do not carry load over personnel.